रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 449] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 22, 1988/श्रावण 31, 1910
No. 449] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 22, 1988/SRAVANA 31, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

बीमा

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 1988

भारतीय जीवन बीमा निगम, वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी (सेवा के निबन्धनों और शर्तों का पुनरीक्षण) (संशोधन) नियम, 1988

सा.का.नि. 873 (अ) :—केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी (सेवा के निबन्धनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी (सेवा के निबन्धनों और शर्तों का पुनरीक्षण) (संशोधन) नियम, 1988 है।

(2) ये 1 अक्तूबर, 1987 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी (सेवा के निबन्धनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 के नियम, 19 के परन्तुक के उपनियम (3) में :—

(1) खण्ड (ख) में, "एक हजार छह सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "दो हजार पांच सौ रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(2) खण्ड (घ) में, "बत्तीस हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "पचास हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 2 (3)/बीमा/III/85]

एस. कण्णन, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकरक ज्ञापन

उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के उपबन्ध 1 अक्तूबर, 1987 से उपदान का संदाय उदार बनाने के लिए संशोधित किए गए थे। भारतीय जीवन बीमा निगम वर्ग 3 और वर्ग 4 कर्मचारी (सेवा के निबन्धनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1985 को, जिसमें समान उपबन्धों हैं, 1 अक्तूबर, 1987 से तदनुसार संशोधित किया जा रहा है।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि भारतीय जीवन बीमा नियम के किसी कर्मचारी पर इसको भूतलक्षी प्रभाव दिए जाने के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

पाद टिप्पण :—मूल नियम अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 357 (अ) तारीख 11-4-1985 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

तत्पश्चात् वे अधिसूचना सं. सा. का. नि. 18 (अ) तारीख 7-1-1986, सा. का. नि. 1076 (अ) तारीख 11-9-1986 और सा. का. नि. 961 (अ) तारीख 7-12-1987 द्वारा संशोधित किए गए ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

INSURANCE

New Delhi, the 22nd August, 1988

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA, CLASS III AND CLASS IV EMPLOYEES (REVISION OF TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE) (AMENDMENT) RULES, 1988

G.S.R. 873 (E) .—In exercise of the powers conferred by section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules further to amend Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985, namely :—

1. (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Service) (Amendment) Rules, 1988.

(2) They shall be deemed to have come into force on 1st day of October, 1987.

2. In rule 19 of the Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985 in the proviso to sub-rule (3) —

(1) in clause (b), for the words "one thousand six hundred rupees", the words "two thousand five hundred rupees" shall be substituted;

(2) in clause (d), for the words "thirty-two thousand rupees", the words "fifty thousand rupees" shall be substituted.

[F. No. 2 (3) |Ins. III|85]

S. KANNAN, Jt. Secy.

EXPLANATORY MEMORANDUM

The provisions of the Payment of Gratuity Act, 1972, were amended with effect from 1st October, 1987 to liberalise the payment of gratuity. The Life Insurance Corporation of India Class III and Class IV Employees (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1985, containing similar provisions are being amended accordingly with effect from 1st October, 1987.

2. It is certified that the interest of no employee of the Life Insurance Corporation of India is likely to be affected adversely by reason of being given retrospective effect.

Foot Note : The principal rules were published under Notification No. GSR 357 (E) dated 11-4-1985. Subsequently amended by Notifications Nos. GSR 18 (E) dated 7-1-1986, GSR 1076 (E) dated 11-9-1986 and GSR 961 (E) dated 7-12-1987.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988